भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 162
उत्तर देने की तारीख 04.12.2023

चयन प्रक्रिया में एकरूपता

162. डॉ. पोन गौतम सिगामणि :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित स्वायत्त शासी संस्थाओं के प्रमुखों और शासी निकायों के कार्यकाल और चयन प्रक्रिया में एकरूपता लाने पर विचार कर रही है;
(ख) क्या शासी निकायों में सदस्यों की संख्या अथवा सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न स्वायत्त शासी संस्थाओं में होने वाली बैठकों की संख्या के संबंध में कोई दिशानिर्देश निश्चित नहीं हैं;
(ग) क्या सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और ऐसी अन्य संस्थाओं की तर्ज पर प्रत्येक संस्थान के शासी बोर्ड में एक जन-प्रतिनिधि को सम्मिलित करने पर विचार कर रही है ताकि शिक्षाविदों के कार्य में सहायता की जा सके और उन्हें ग्राउंड रिपोर्ट प्रदान की जा सके;
(घ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार के क्या विचार हैं?

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): संस्कृति मंत्रालय में 34 स्वायत्तशासी निकाय मौजूद हैं। कला और संस्कृति के विविध रूपों के संवर्धन, संरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए प्रत्येक संस्थान का अपना अलग-अलग अधिदेश है। इन संस्थाओं के प्रमुख अपेक्षित कौशल रखने वाले अधिकारीगण होते हैं और उनकी नियुक्तियाँ विभिन्न चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से विभिन्न वेतन

स्तरों पर की जाती हैं। स्वायत्त निकायों के संगम ज्ञापन, नियम और विनियम, उप-विधियों आदि में उनके कार्यकरण से संबंधित सभी मामलों के लिए आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय दिशानिर्देशों का प्रावधान किया गया है। शासी निकायों में सदस्यों की संख्या या संस्थान में आयोजित होने वाली बैठकों की संख्या के संबंध में संस्थानों के लिए कोई दिशानिर्देश निश्चित नहीं हैं। स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रमुखों और शासी निकायों के लिए चयन प्रक्रिया में एकरूपता का मामला इस मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

(ङ): जी, नहीं।

(च): लागू नहीं होता।

*****